

इसका  
38/18

रामकृष्ण / न्यायालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ
167 19	<p>प्राप्त की पेशा हुई। डिप्टी जज आदेशों पर उपा। डिप्टी जज आदेशों को पढ़ा कि आदेश की पाठना पूर्ण हो चुकी है। आदेश की पाठना पूर्ण होने पर प्राप्ति रूप की जाती है। प्राप्ति प्रमाण सुनार होकर जबर सेवन हो तथा कार्य समाप्त हो रहा है।</p> <p style="text-align: right;">Rw</p>